नकल खसरा ग्राम कुसमोठ परगना किलपुरी तहसील सितारगंज जिला ऊधमसिंह नगर साल 1430 फ. सन् फसल सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नं० खाता खतौनी	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो।	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल									फसली क्षेत्रफल दो		आकर्षित भूमि		खेत के पूरे बढ़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण
						खरीफ			रबी			जायद								
						फसल	सिंचित	असिंचित	फसल	सिंचित	असिंचित	फसल	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	माप	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23/2 मि.	0.300	37	मां शाकम्भरी ट्रस्ट समिति ग्राम कुसमोठ द्वारा सदस्य शिव वर्धन सिंह	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	आबादी ग्राम	0.300	X	X

नोट: नकल मुताबिक असल के है पैरा 26 के अनुसार नकल जारी की।

ह०
28/08/23
दीपक सिंह
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-बरुआनाला
तहसील-सितारगंज

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 056102 ग्राम का नाम / परगना : कुसमौट(खटीमा) तहसील : सितारगंज जनपद : ऊधम सिह नगर फसली वर्ष : 1427-1432 भाग : 1

1-क/भूमि जो सक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो

खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ------------------ 2 ------------------	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष -------- 3 ------	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ------ 4 ------	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ----- 5 -----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ------ 6 -------	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद ---------------------------- 7-12 ----------------------	टिप्पणी ------------------13------------------
00037	माँ शक्तिपीठ ट्रस्ट समिति/./. ग्राम कुसमौट द्वारा सदस्य/./. शिवबर्धन सिंह/ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह/नि. कुसमौट	1418फ0	23/2मि0	0.3000	8.00		आदेश दि0-27-09-10 के अनुसार खसरा न0-23/2 मि0 रकवा 0.300है0 भूमि अकृषिक घोषित ०ा०ह0र0का0दि0- 29-09-10
			1	0.3000			

कुल गाटे: एक कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव तीन कुल भू-राजस्व: आठ दशमलव शून्य शून्य

Data Digitally Signed by : PARMESHWARI LAL

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : सितारगंज जनपद : ऊधम सिह नगर

दिनांक एवं समय : 25-08-2023 12:19:51 PM

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

न्यायालय परगनाधिकारी / सहा0कले0प्रथम श्रेणी सितारगंज जिला उधमसिंहनगर

वाद संख्या- 22 / 395 वर्ष 2009-10

वादी - आदर्श प्रकाश सिह पुत्र केशवनाथ सिंह,

निवासी ग्राम कुसमोठ तहसील सितारगंज जिला उधमसिंह नगर।

बनाम

प्रतिवादी :- उत्तराखण्ड सरकार ।

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि एवं भू0 सु0 अधिनियम

निर्णय

वादी उपरोक्त द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 एवं भू0सु0 अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम कुसमोठ तहसील सितारगंज जिला उधमसिंह नगर में खाता सं0 03 के खसरा न0 23/2 रकबा 0.822 है0, लगानी मु0-20.80रु0, भूमि को अकृषिक में घोषित कराना चाहता है । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सितारगंज से जांच करवाकर आख्या प्राप्त की गयी । तहसीलदार सितारगंज द्वारा अपनी जांच से अवगत कराया गया कि ग्राम कुसमोठ तहसील सितारगंज में खाता सं0 03 के खसरा न0 23/2 रकबा 0.822 है0, लगानी मु0-20.80रु0, भूमि श्री आदर्श प्रकाश सिंह पुत्र केशवनाथ सिंह, निवासी ग्राम कुसमोठ तहसील सितारगंज जिला उधमसिंह नगर के नाम वर्ग1 क सक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है। उपरोक्त भूमि को प्रार्थी अकृषिक घोषित कराना चाहता है । उक्त भूमि में मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन उद्यानीकरण आदि का कार्य नहीं हो रहा है । उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने बाबत तहसीलदार सितारगंज द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है । उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में वादी उपरोक्त के बयान दर्ज किये गये । जिसमें उनके द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि उक्त भूमि अकृषिक उपयोग में आ रही है। जिस पर खेती आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है।

अतः मेरे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के बयान एवं तहसीलदार सितारगंज की आख्या एवं पक्षों को सुनने के उपरान्त मैं इस अभिमत का हूँ कि प्रश्नगत आराजी में किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही किसी प्रकार की आपत्ति पेश हुई। अतः वाद को निर्विवाद मानते हुए प्रश्नगत आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही पाता हूँ। भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः ग्राम कुसमोठ तहसील सितारगंज में खाता सं0 03 के खसरा न0 23/2 रकबा 0.822 है0, लगानी मु0-20.80रु0, भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है । अतः देय लगान निरस्त हो । तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो । आदेश की प्रति उपनिबन्धक सितारगंज को भी प्रेषित की जाय । पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दा0 द0 हो ।

दिनांक 27-9-2010

परगनाधिकारी / सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी

सितारगंज